

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक:एफ 2(परिपत्र)13/विधि/प्रमुवस/ 2157-2282

दिनांक: 22/07/2026

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण,
राजस्थान।

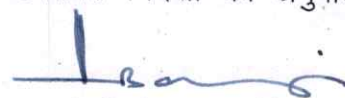
परिपत्र

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली/माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर होने वाले प्रकरणों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट का अनुमोदन उच्च कार्यालय से करवाने के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली/माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर होने वाले प्रकरणों में अपूर्ण एवं असंगत तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर राजकीय अधिवक्ताओं से जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिया जाता है जो कि उचित प्रक्रिया नहीं है। जवाब के तथ्यों में कोई तथ्यात्मक/विधिक त्रुटि रह जाने पर विभाग के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय पारित होने की संभावना रहती है, जिससे राजकीय हितों पर विपरीत प्रभाव होने की आशंका रहती है।

अतः समस्त वनाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली/माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर होने वाले प्रकरणों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) कार्यालय के संबंधित अनुभाग से करवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रभारी अधिकारी, प्रकरण प्राप्त होने के उपरान्त दो दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगे, जिसका अनुमोदन आगामी तीन कार्य दिवसों में संबंधित अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी उच्च कार्यालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुमोदित करवा कर प्रकरण में नियुक्त राजकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता से जवाब तैयार करा कर निर्धारित समयावधि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना गम्भीरता से सुनिश्चित की जावे।



(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान,जयपुर।